<u>प्रेस नोट</u>

<u>कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महराजगंज दिनांक–मई 01, 2019</u>

<u>यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग–</u>

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **76** वाहनों से **मु0–10100**/–रूपया शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।

<u>शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–</u>

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **<u>कुल–21 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी</u>** में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

- **<u>पैदल गश्त अभियानः–</u>**पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने–अपने थाना क्षेत्रों में अलग–अलग टीम बनाकर पैदल गस्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़–भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते **290 भा0द0वि में–55** व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।

- पुलिस अधीक्षक महराजगंज के निर्देशन मे चलाये जा रहे अभियान मे जनपदीय पुलिस द्वारा 110 जी जा0फौ0 में 20 व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही की गयी।

<u>अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही</u>–

पुलिस अधीक्षक महराजगंज द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल–03 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर उनके पास कुल 260 शीशी नेपाली शराब की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

<u>थाना–निचलौल द्वारा की गयी कार्यवाही</u>–01–अभियुक्त प्रद्युम्न उर्फ आदित्य मद्वेशिया पुत्र धनश्याम नि0 महाश्य मोहल्ला थाना निचलौल जनपद महराजगंज के कब्जे से अवैध 180 शीशी नेपाली शराब व 01 अदद मो0सा0 बरामद कर मु0अ0स0–153/2019, **02.**अभियुक्त कमलकान्त पुत्र बिहारी नि0 करमहिया थाना निचलौल के कब्जे से अवैध 35 शीशी नेपाली शराब बरामद कर मु0अ0स0– 150/2019 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

- **<u>थाना–नौतनवां द्वारा की गयी कार्यवाही</u>**–अभियुक्त शिवपूजन पुत्र स्व0 रामचन्द्र नि0 वार्ड नं0 04 थाना नौतनवां जनपद महराजगंज के कब्जे से अवैध 45 शीशी नेपाली शराब बरामद कर मु0अ0स0 124 /2019, धारा 60/63 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

<u>आर्म्स एक्ट के अन्तगर्त की गयी कार्यवाही–</u>

थाना कोठीभार पुलिस द्वारा अभियुक्त कुनकुन पुत्र पूर्णमासी नि0 ढोढा बीजापार थाना कोठीभार जनपद महराजगंज के कब्जे से अवैध 01 अदद नाजायज चाकू बरामद कर मु0अ0स0 –102/2019 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तगर्त कार्यवाही की गयी।

गुण्डा एक्ट के अन्तगर्त की गयी कार्यवाही–

थाना बृजमनगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त **01**.लालमन पुत्र टीमल नि0 बचगंपुर**, 02**. जितेन्द्र पटेल पुत्र लहुरी नि0 दुर्गापुर,**03** पल्टू पुत्र जग्गन नि0 नैनसर**,04**.पल्टन पुत्र चिरकुट, **05** रामसजीवन पुत्र पल्टन नि0गण शिवपुर अदरौना थाना बृजमनगंज के विरूद्व थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 –निल/2019, धारा 3/4 गुण्डा एक्ट के अन्तगर्त कार्यवाही की गयी।

थाना नौतनवां पुलिस द्वारा–संजय पुत्र कोदई नि0 बैरवा जंगल थाना नौतनवां जनपद महराजगंज के विरूद्व थाना स्थानीय पर मु0अ0स0–निल/2019,धारा 3/4 गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।

- विवेचनाओं का निस्तारण–पुलिस अधीक्षक महराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण–दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए **कुल–09** विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 30/01.05. 2019 को विभिन्न अपराधों में कुल–04 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्व कार्यवाही की गयी।